

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 01/2020

हिन्दुजा लिलेण्ड फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर राजस्थान

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) मैसर्स श्री गोविन्दम समारोह स्थल  
पता:- 95-96, शान्ति द्वार, आर के पुरम, बी के कोल नगर, अजमेर 305001
- (2) श्रीमती आशा दायमा  
पता:- 95-96, शान्ति द्वार, आर के पुरम, बी के कोल नगर, अजमेर 305004
- (2) श्री गोविन्द प्रसाद दायमा  
पता:- 95-96, शान्ति द्वार, आर के पुरम, बी के कोल नगर, अजमेर 305004  
.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री भागचन्द शर्मा -

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 03.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री गोविन्दम समारोह स्थल एवं श्रीमती आशा दायमा, गोविन्द दायमा निवासी:- 95-96, शान्ति द्वार, आर के पुरम, बी के कोल नगर, अजमेर 305001 को दिनांक 01.10.2016 को रूपये 1,25,00,000/- (अक्षरे एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर गाँव बोराज, अजमेर स्थित आर के पुरम कॉलोनी के प्लॉट नं० 95 व 96 को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 21.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 22.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 1,18,05,273/- (अक्षरे एक करोड अठारह लाख पांच हजार दो सौ तैहत्तर रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का



*De Lams*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में गाँव बोरराज, अजमेर स्थित आर के पुरम कॉलोनी के प्लॉट नं० 95 व 96 का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को सुनाया गया।



*Vishwa*

(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर